तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 78/2023 जीसीएमएस : 2023/185 बलदेव सिंह बनाम गुरप्रीत सिंह आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए, 209 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
30.04.2025		

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./25/1442 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बहस वकील वादी सुनी गयी। वादी अधिवक्ता प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित भूमि का विभाजन कर डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 18.10.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण से विडियो कॉन्फ्रसिंग के जरिए प्राप्त सहमति आधार पर तहसीलदार श्रीविजयनगर को खाता विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने के आदेश दिए गए थे। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की गयी है। प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। विभाजन प्रस्ताव में वादी को दी गई भूमि वाद पत्र में उल्लेखित एवं वांछित अनुसार ही है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में सहमति दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होने के कारण वाद पत्र प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि चक 2 जीबी ए के खाता सं. 13 में दर्ज मु.नं. 32 व 33 की कुल नाली प्रथम मय खाला में वादी का प्रतिवादीगण से विभाजन करते हुए वादी बलदेव सिंह पुत्र सरूप सिंह को निम्नलिखित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :–

चक 2 जीबी ए प.नं. 112/376 मु.नं. 32 कि.नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 7/0.253, 14/0.253, 17/0.253, 14/1/0.126 कुल 1.138 है. नाली प्रथम मय खाला

उपर्युक्त भूमि पृथक खाता में वादी के नाम से दर्ज की जावे। शेष भूमि अन्य सहखातेदारान/प्रतिवादीगण के नाम से यथावत संयुक्त खाता में रहेगी। अन्य अंकन भूमि की किस्म/प्रकृति व राहिन इत्यादि बदस्तूर रहेगा।

पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:24 IST
Reason: SelfAttested